राजस्थान सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड

सफलता की कहानी

48 वर्ष पश्चात पुनः खातेदार घोषित हुआ

झालावाड़ 16 जुलाई/ग्राम पंचायत मुख्यालय खेरखेडा अटल सेवा केन्द्र पर 15 जुलाई को राजस्व लोक अदालत केम्प में श्यामलाल पिता चतरा बंजारा निवासी टकलोन द्वारा एक प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत मय दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूप्रबन्ध मिसल बन्दोबस्त 1966 में अन्य खातेदारों के साथ प्रार्थी श्यामलाल पिता चतरा बंजारा का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर कुल 7 खसरा नं. 13 बीघा 13 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज थी, कालान्तर में नवीन जमाबन्दी तैयार के दौरान प्रार्थी का नाम खाते में दर्ज करने से छूट गया, जिसे पुनः खातेदारी में दर्ज कराया जावे।

उपखण्ड अधिकारी धीरेन्द्र व्यास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पटवारी व तहसीलदार मनोहरथाना से जांच रिपोर्ट ली गई। उपस्थित सहखातेदारों द्वारा भी भूलवंश नाम छुटना बताया गया व पुनः खाते में नाम सम्मलित करने की रजामंदी प्रकट की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संलग्न दस्तावेज व जांच रिपोर्ट के आधार पर श्यामलाल पिता चतरा बंजारा को ग्राम टकलोन के जमाबन्दी वर्ष 2066–69 के नवीन खाता नं. 17 में अन्य सहखातेदारों के साथ कुल खसरा नं. 7 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा में हिस्सा 1/6 में खातेदार जरिये रेकार्ड शुद्धि दर्ज करने का आदेश प्रदान किये गये। आदेश प्राप्त होने पर भी प्रार्थी को विश्वास नहीं हुआ कि इतना जल्दी भी यह कार्य हो सकता है। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि कई बार केम्पों में आवेदन किया कभी भाईयों की सहमति नहीं हुई कभी रिकार्ड नहीं मिला। गरीबी की हालत होने से वकील नहीं कर सका व दावा दायर नहीं किया। आज श्यामलाल व पूरा परिवार खुश हुआ व राज्य सरकार को धन्यवाद दिया।

———

वर्ष 2012 से दर्ज प्रकरण को एक घण्टे में निस्तारण किया

झालावाड़ 16 जुलाई/प्रार्थीगण नन्दलाल, परमानंद पिता कंवरलाल जाति लोधा निवासी बनेठ के शामलाती खाते में ग्राम टोडाखेडा की खाता संख्या 5 की 3 किता की 9.13 बीघा में 1/3 हिस्सा दर्ज होने से प्रार्थीगण को अपने हिस्से की आराजी का विकास करने उपजाउ बनाने, बैंक से ऋण वगैरह प्राप्त करने में परेशानी आने के कारण प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी को पृथक खाते में दर्ज करने हेतु दिनांक 5.7.2012 को प्रतिवादीगण अन्य सहखातेदारान के विरूद्ध वाद संख्या 76 दावा /12 उपखण्ड न्यायालय में पेश किया गया था। वादी अपने हिस्से की आराजी पृथक खाते दर्ज करवाने के लिए वर्ष 2012 से निरन्तर अधिवक्ता व न्यायालय के चक्कर लगा रहा था। कभी अधिवक्ता नहीं मिलने कभी न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के प्रवास पर होने के कारण प्रार्थीगण की हिस्से की आराजी पृथक खाते दर्ज नहीं हो पा रही थी।

प्रार्थीगण लोक अदालत ग्राम पंचायत खेरखेडा में उपस्थित हुए। प्रार्थीगण की उक्त पत्रावली निस्तारण हेतु लोक अदालत में रखी गई। सभी पक्षकारों को लोक अदालत में उपस्थित होने बाबत सूचना पत्र जारी किये गये थे। प्रतिवादीगण को तलब कर पत्रावली की सुनवाई की गई। उपस्थित पक्षकारों की समझोता समिति द्वारा तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता (पीठासीन अधिकारी) द्वारा समझाईश किया तो पक्षकारों के मध्य सहमति बनी तथा राजीनामा पेश किया। मौके पर कब्जे के अनुसार किस हिस्से पर पक्षकारों का कब्जा है उसी के अनुसार खाते का विभाजन कर दिया जावे।

पक्षकारों की आपसी सहमति तथा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर ग्राम टोडाखेडा तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या 5 की 3 किता की 9.13 बीघा आराजी में से वादीगण के हिस्से की 1/3 भाग आराजी पृथक खाते दर्ज करने के आदेश जारी किये गये। आदेश की प्रति वादीगण को दी गई। वादीगण अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा आश्चर्य करते हुए मौके पर उपस्थित काश्तकारी से जाहिर किया कि मैं पिछले तीन वर्षों से चक्कर लगा रहा था लेकिन लोक अदालत के माध्यम से आज एक ही दिन में मेरे केस का निर्णय होकर निर्णय की प्रति मुझे प्राप्त हो गई। सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया।

———————